निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 19 / 2017
दायरा दिनांक :–08.02.2017
निर्णय दिनांक :–19.04.20107

उनवान

रामदयाल उर्फ दयाल पुत्र बिरधीलाल जाति चमार निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 19.04.20107

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 168 रकबा 03 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा मौजा सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 7 सम्वत् 2072 ता 75 से हिस्सा 1/8 से वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। आराजी खसरा नंबर 21 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 53 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा मौजा सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 8 सम्वत् 2072 ता 75 से हिस्सा 1/16 से वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। आराजी खसरा नंबर 22 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 89 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 169 रकबा 11 बिस्वा , खसरा नंबर 240/86 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा किता 4 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा मौजा सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 100 सम्वत् 2072 ता 75 हिस्सा 1/16 से वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है।

उक्त वर्णित आराजी मे वादी का नाम दयाल दर्ज है, जबकि वादी के नाम दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे/15/114/081360 मे रामदयाल, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 9372 9739 5164 मे नाम रामदयाल तथा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशनकार्ड संख्या 00064 मे भी नाम रामदयाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दयाल व अन्य दस्तावेज मे नाम रामदयाल दर्ज होने से वादी को उक्त वर्णित आराजीयात के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने जैसे बैंक ऋण प्राप्त करने या अन्य प्रकार की कार्यवाही करने मे काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए वादी के लिये उक्त वर्णित आराजीयात मे अपना नाम दयाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। वादी ने दिनांक 06.02.2017 को प्रतिवादी से उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम दयाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम दयाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे कार्यवाही करने के लिये कहा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाव पेश नही करने पर प्रतिवादी का जबाव बन्द किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75 खाता संख्या 7, नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75 खाता संख्या 8, नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75 खाता संख्या 100, नकल इन्तकाल नं0 204 दिनाक 30.11.2004, सरपंच ग्राम पंचायत बिलेन्डी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.02.2017, पहचान पत्र, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र, पेश किये गये। साक्ष्य वादी में रामदयाल, जगन्नाथ का शपथ पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन कि आराजी खसरा नंबर 166 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 168 रकबा 03 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा मौजा सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 21 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 53 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा मौजा सुखनेरी में वादी का हिस्सा 1/16 दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 22 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 89 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 169 रकबा 11 बिस्वा , खसरा नंबर 240/86 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा किता 4 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा मौजा सुखनेरी में वादी का हिस्सा 1/16 दर्ज है। उक्त आराजी मे वादी का नाम दयाल दर्ज है, जबकि वादी का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 9372 9739 5164 एवं राशन कार्ड में रामदयाल दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दयाल व अन्य दस्तावेज मे नाम रामदयाल दर्ज होने से वादी को उक्त आराजीयात पर बैंक ऋ प्राप्त करने या अन्य प्रकार की कार्यवाही करने मे काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है, वादी का वा स्वीकार कर दयाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75 खाता संख्या 7, नकल जमाबन्दी सुखनेरी संवत 2072–75 खाता संख्या 8, नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75 खाता 100, नकल इन्तकाल नं0 204 दिनाक 30.11.2004 के अनुसार दयाल दर्ज है। सरपंच ग्राम बिलेन्डी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.02.2017, पहचान पत्र, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्र

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

स्थान कार्ड कॉपी एवं पहचान पत्र रामस्वरूप अंकित है। इससे यह साबित होता है कि वादी का सही नाम रामस्वरूप है जो राजस्व रिकार्ड में रामलाल दर्ज हो गया है जो गलत है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम सुखुनेरी के खाता संख्या 1 खाता संख्या 8 एवं खाता संख्या [illegible] में अंकित रामलाल के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पटवारी को दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज खुले न्यायालय सुनाया गया।

[illegible]
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 19/2017	धारा अन्तर्गत 88, RTA	निर्णय दिनांक : 19.04.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

रामदयाल उर्फ दयाल पुत्र बिरधीलाल जाति चमार निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम सुखनेरी के खाता संख्या 7, खाता संख्या 8, एवं खाता संख्या 100, में अंकित दयाल के स्थान पर रामदयाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.4.17 को निर्गत किया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र. सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner